



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-14012026-269335
CG-MH-E-14012026-269335

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2026/पौष 23, 1947

No. 24]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSHA 23, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुम्बई, 13 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 24(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (रेल संशोधित अधिनियम 2008) की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उप खंड(1)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में उज्जैन -फतेहाबाद रेल अमान परिवर्तन, रेल परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन अनुरक्षण प्रबंधन एवं संचालन के लिए आवश्यक है, एसी भूमि के अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा(1)के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, भू अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), उज्जैन जिला उज्जैन को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या

कानूनी प्रेक्विशनर(अधिवक्ता) के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिए अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्योरे उपलब्ध है और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची							
मध्यप्रदेश राज्य के उज्जैन जिले में उज्जैन -फतेहाबाद रेल अमान परिवर्तन नाम की विशेष रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण							
क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रभावित क्षेत्रफल हेक्टेर
1	उज्जैन	उज्जैन	चिंतामण जवासिया	228	निजी	सिंचित	0.4195
2	उज्जैन	उज्जैन	चिंतामण जवासिया	229/1	निजी	व्यपवर्तित	0.0040
3	उज्जैन	उज्जैन	चिंतामण जवासिया	229/2/2	निजी	व्यपवर्तित	0.0030
4	उज्जैन	उज्जैन	चिंतामण जवासिया	229/3	निजी	व्यपवर्तित	0.0010
5	उज्जैन	उज्जैन	चिंतामण जवासिया	260/1/1	निजी	व्यपवर्तित	0.6034
6	उज्जैन	उज्जैन	चिंतामण जवासिया	213/933	शासकीय	असिंचित	0.0528
7	उज्जैन	उज्जैन	चिंतामण जवासिया	262	शासकीय	असिंचित	0.0186
कुल							1.1023

[फा. सं. E. 504970-02]

धीरज कुमार, मुख्य अभियन्ता निर्माण-IV

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railways (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th January, 2026

G.S.R. 24(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(i) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land brief description of which has given in the schedule annexed here to ,is required for execution of Special Railway Project ,namely **Ujjain-Fatehabad Gauge Conversion Rail project in Ujjain District of Madhya Pradesh** here by, declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Land Acquisition Officer &Sub - Divisional Officer (Revenue) Ujjain District- Ujjain in writing and shall set out the ground thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and

may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The Land Plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person aforesaid Office of the Competent Authority.

SCHEDULE							
Brief description of land with or without structure to be acquired for the Special Railway Project, namely Western Railway Gauge Conversion Project of Ujjain Fatehabad section in Ujjain District of the State of Madhya Pradesh.							
S. No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Land to be Acquired Area in hect.
1	Ujjain	Ujjain	Chintaman Jawasia	228	Pvt	Irrigated	0.4195
2	Ujjain	Ujjain	Chintaman Jawasia	229/1	Pvt	Diverted	0.0040
3	Ujjain	Ujjain	Chintaman Jawasia	229/2/2	Pvt	Diverted	0.0030
4	Ujjain	Ujjain	Chintaman Jawasia	229/3	Pvt	Diverted	0.0010
5	Ujjain	Ujjain	Chintaman Jawasia	260/1/1	Pvt	Diverted	0.6034
6	Ujjain	Ujjain	Chintaman Jawasia	213/933	Govt	Unirrigated	0.0528
7	Ujjain	Ujjain	Chintaman Jawasia	262	Govt	Unirrigated	0.0186
Total							1.1023

[F. No. E. 504970-02]

DHEERAJ KUMAR, Chief Engineer Construction-IV